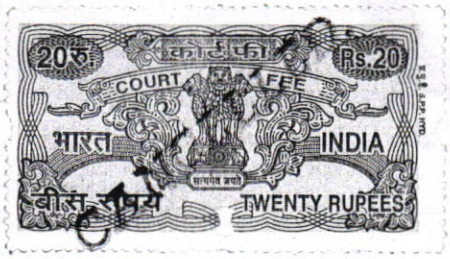

निग-3010-I-16

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केंप सागर म0प्र0

1– श्रीमती गीताबाई उम्र 72 साल पुत्री रामसंहाय श्रीवास्तव पत्नि श्री ज्वालाप्रसाद श्रीवास्तव निवासी चमेली चौक सागर म.प्र.

2– विष्णुप्रसाद श्रीवास्तव उम्र 69 साल वल्द स्व0 श्री रामसंहाय श्रीवास्तव निवासी शर्मा वार्ड खुरई तह0 खुरई जिला सागर म0प्र0 ....

निगरानीकर्तागण

....

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय सागर .... प्रत्यर्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता 1959

निगरानीकर्तागण विनम्र प्रार्थी है –:

1– **यह कि** निगरानीकर्ता उक्त निगरानी न्यायालय श्रीमान अपर कमिश्नर महोदय सागर के अभ्यावेदन प्रकरण कमांक 634अ/20X 15–16 तारीख आदेश 17–06–2016 गीताबाई विरूद्ध म.प्र.शासन जिसमें समयावधि बाह्य प्रस्तुत होने से एवं न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय सागर के प्रकरण कमांक 61अ/20'1'77–78 म0प्र0 शासन विरूद्ध प्यारेलाल पटेल प्रवंधक देवीजी मंडिया शर्मा वार्ड खुरई जिला सागर में आदेश दिनांक 6–6–1980 जिसकी जानकारी निगरानीकर्ता के लिए व्यवहार वाद कमांक 24ए/16 न्यायालय श्रीमान द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग – 2 खुरई जिला सागर म0प्र0 के न्यायालय में एक व्यवहार वाद कमांक 24ए/16विष्णुप्रसाद श्रीवास्तव विरूद्ध नगर पालिका परिषद खुरई में प्रस्तुत जवाब में उक्त आदेश का विवरण दिये जाने से तथा उक्त विवरण के आधार पर आलोच्च आदेश की सत्यप्रतिलिपी दिनांक 6–5–2016 नकल मिलने पर हुयी है उक्त आदेश से दुखित होकर उक्त निगरानीकर्तागण श्रीमान के समक्ष लिखित तथ्य एवं आधार पर प्रस्तुत करते है –:

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3010–एक/2016 जिला सागर

गीताबाई विरूद्ध म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-10-2016	आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि आवेदक के पिता स्व0 रामसहाय श्रीवास्तव ने खुरई स्थित भूमि खसरा कमांक 73 में से 0.16 डिसमिल भूमि रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से दिनांक 21–11–1952 को अपनी पुत्री गीताबाई श्रीवास्तव के नाम से मनमोहन वल्द दमरू नाई से कय कर कब्जा प्राप्त किया। तदनुसार आवेदिका गीताबाई का नाम नामांतरण उपरांत राजस्व अभिलेख में विधिवत् दर्ज हुआ जो आज तक लगातार चला आ रहा है। यह भी तर्क दिया कि प्रश्नाधीन कय की गई भूमि पर आवेदक का व्यक्तिगत मंदिर है एवं मंदिर से लगकर करीब 16 गुणित 15 फुट 8 इंच जगह में चबूतरा बना हुआ है उक्त जगह भी आवेदिका के निजी स्वामित्व एवं आधिपत्य की है। उक्त जगह पर नगर पालिका परिषद् खुरई द्वारा 2016 में निर्माण कार्य शुरू किया तब आवेदिका ने नगर पालिका परिषद् खुरई को अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजा एवं विधिवत न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 खुरई के न्यायालय में एक व्यवहार वाद कमांक 24ए/16 विष्णुप्रसाद श्रीवास्तव विरूद्ध नगर पालिका परिषद खुरई के विरूद्ध दावा वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 22–3–16 को प्रस्तुत किया जिसमें नगर पालिका परिषद के अधिवक्ता ने	

उपस्थित होकर दिनांक 2–4–16 को जबाव प्रस्तुत किया। व्यवहार न्यायालय ने आवेदक के पक्ष में आदेश दिनांक 02–4–16 को ही आगामी पेशी तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई। यह भी तर्क दिया कि कलेक्टर सागर द्वारा आवेदकगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये उक्त खसरा नम्बर को मनमाने ढंग से बिना विधिक प्रकिया अपनाये खसरा नम्बर 414 एवं 415 से अंकित कर दिया गया है। जबकि उक्त भूमि लगानी भूमि है जो मनमाने ढंग से इस प्रकार उसके नम्बर परिवर्तित नहीं किये जा सकते हैं। उक्त प्रकरण में जो सूचना पत्र जारी किया गया है वह देवीजी मड़िया के नाम से जारी किया गया है किसी व्यकितगत नाम से कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया गया है। तर्क में यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक नजूल ने स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 12–2–1980 प्रस्तुत किया जो पूर्णतः मनमाने ढंग से प्रस्तुत किया गया है जिसमें पंचनामा नक्शा मौका संलग्न नहीं किया गया है। वास्तव में राजस्व निरीक्षक ने मौका पर जाकर कोई जांच नहीं की। इस कारण स्थल निरीक्षण नजूल प्रतिवेदन दिनांक 12–2–1980 निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इसी स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन को आधार मानकर आलोच्य आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व प्रकरण कमांक 60/अ–20/77–78 म0प्र0 शासन विरूद्ध प्यारे लाल पटेल प्रबंधक देवीजी मड़िया शर्मा वार्ड खुरई जिला सागर में आदेश दिनांक 6–6–1980 में एक ही आदेश पारित कर खसरा

नम्बरी लगानी भूमि को नजूल में अंतरण करने में त्रुटि की है तथा अपर आयुक्त ने इस वैधानिक बिन्दु पर बिना विचार किये समयावधि के बिन्दु पर आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जायें।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में निगरानी एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रस्तुत विकय पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 73 में से 0.16 डिसमिल आवेदिका गीताबाई के नाम से कय की गई है। प्रकरण में संलग्न वर्ष 1953–54 से 54–55 की खसरा पांचसाला के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि का नामांतरण विकय पत्र के आधार पर भूमिस्वामी की हैसीयत से खसरे के कॉलम नं0 3 में अंकित है। प्रकरण में संलग्न वर्ष 2015–16 के खसरों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी की हैसीयत से आवेदिका गीताबाई का नाम अंकित है। इससे यह प्रकट होता है कि आवेदिका का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर वर्ष 1955 से वर्ष 2015–16 अर्थात आज दिनांक तक निरंतर भूमिस्वामी के रूप में अंकित चला आ रहा है। प्रकरण में संलग्न प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 खुरई जिला सागर के व्यवहार वाद कमांक 103ए/2016 में पारित आदेश दिनांक 10–5–2016 की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा भी अपने आदेश में यह माना है कि प्रश्नाधीन भूमि

के संबंध में विकय पत्र में गीताबाई के नाम से मड़िया की जगह का उल्लेख है। इस प्रकार विकय पत्र एवं खसरा से प्रथमदृष्टया मड़िया सहित जगह को कय किये जाने के साक्ष्य दर्शित हैं। खसरा नंबर 73/1 रकवा 0.065 हे0 की भूमिस्वामी गीताबाई दर्ज है। व्यवहार न्यायालय के अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 10–5–16 के पैरा 11 में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि ''मेन्टेनेंस खसरा वर्ष 2009–10 नजूल की छायाप्रति प्रस्तुत की है जिसमें शर्मा वार्ड 16 सी प्लाट नंबर 414, 415 पर देवी की मड़िया सार्वजनिक शासकीय जगह में होना उल्लेखित किया है। रिमार्क कालम में यह लिखा गया है कि कलेक्टर महोदय सागर के प्रकरण कमांक 60–61अ/20/77–78 आदेश दिनांक 06–6–1980 भूखण्ड कमांक 415, 415 क्षेत्र 118 वर्गमीटर में देवीजी की मड़िया बनी है। इस प्रकार मड़िया को शासकीय नजूल की होना बताया गया है और प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्राकक्लन एवं नक्शा में निर्माण कार्य करने के तथ्य दर्शित होते हैं। कलेक्टर सागर का आदेश दिनांक 06–6–1980 इस प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी दशा में वादी की बहिन के नाम से खरीदी गई जगह में बनी देवीजी की मंडिया एवं उसकी आगे की जगह जिसमें वर्तमान में चबूतरा बना होना बताया है उसे कलेकटर शासन ने शासकीय घोषित किया है। वह किस आधार पर किया गया है, यह प्रमाणित नहीं किया गया है। अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश के अंत में आवेदन पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी नगर पालिका परिषद् खुरई को निर्देशित किया गया है कि

वह विवादित स्थान पर निर्माण कार्य न करें। साथ ही उभय पक्ष को मौके पर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये हैं। माननीय व्यवहार न्यायालय ने आवेदकगण का अस्थाई निषेधाज्ञा संबंधी वाद स्वीकार किया है व कलेक्टर सागर द्वारा प्रश्नाधीन उक्त भूमि पर बनी जगदम्बा की मड़िया व चबूतरे को शासकीय भूमि घोषित करना आधारहीन माना है। आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक के विधि संगत तर्कों पर विचार करने एवं उनके द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत व संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन उपरांत प्रथम दृष्टया ही यह स्पष्ट है कि वास्तविक हितबद्ध पक्षकारों को सद्भावना पूर्वक विधिवत सूचना दिये बिना एवं सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना ही मात्र राजस्व निरीक्षक द्वारा दुराशयपूर्ण एवं मनमाने तरीके से संपादित असत्य स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर सागर द्वारा प्रकरण कमांक 60/अ–20(1)/77–78 में पारित आदेश दिनांक 06–6–1980 के द्वारा आवेदकगण की निजी स्वामित्व एवं आधिपत्य की खसरा नंबरी लगानी भूमि पर स्थित उक्त जगदंबा की मड़िया को नगर पालिका परिषद खुरई कि नजूल भूमि मानकर शासकीय भूमि दर्ज करने में अवैधानिकता की गई है, जो कि खेद्जनक है। तत्पश्चात इस आदेश से व्यथित होकर आवेदकगण ने न्यायालय आयुक्त सागर संभाग के समक्ष उक्त आदेश के विरूद्ध अभ्यावेदन कमांक 634/अ–20/15–16 प्रस्तुत किया, जिसमें अपर आयुक्त सागर ने भी उक्त महत्वपूर्ण वैधानिक बिन्दु पर समुचित विचार न करते हुये समयावधि के बिन्दु

पर आदेश दिनांक 17–6–16 पारित कर आवेदकगण का अभ्यावेदन निरस्त किया, जो कि त्रुटिपूर्ण है व स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

अतः यह प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित उपरोक्त आदेश विधि विपरीत होने से निरस्त किये जाते हैं, तथा आवेदकगण के निजी स्वामित्व व आधिपत्य की उक्त भूमि में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप पर रोक लगाई जाती है। त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि विलोपित की जाये। पक्षकार सूचित हों व प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एम.के.सिंह)
सदस्य